राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांकः–एफ 4(279) परावि/पीसी/जजयो/मजदूरी/2016/2751 जयपुर दिनांकः–26.8.16

–ःआदेश ः–

विभागीय आदेश क्रमांक 1333 दिनांक 07.07.2015 के द्वारा जनता जल योजनान्तर्गत अंशकालीन पम्प चालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 18.02.2013 की पालना में दिनांक 01.07.2015 से तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि रूपये 94.50 प्रतिदिन की दर से मजदूरी भुगतान अनुमत किया गया था।

श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.2016 द्वारा दिनांक 01.04.2016 से न्यूनतम मजदूरी दर में अभिवृद्धि कर रूपये 201/– प्रतिदिन कर दी गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय की पालना में PHED से हस्तान्तरित जनता जल योजना के अंशकालीन पम्प चालकों को देय वर्तमान मजदूरी दर राशि रूपये 94.50 प्रतिदिन को संशोधित करते हुये रूपये 100.50 प्रतिदिन की दर से (माह में अधिकतम 26 दिवस हेतु रूपये 2613/–) भुगतान किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह दरें दिनांक 01.04.2016 से लागू होगी तथा भुगतान पंचम राज्य वित्त आयोग मद में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि से वहन किया जायेगा।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
8. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

Janta jal yojana 2015&16